भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 506
22 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

स्वच्छ भारत मिशन

506. सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ), ओडीएफ+, ओडीएफ++ के रूप में प्रमाणित किए गए शहरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित अथवा निर्माणाधीन घरेलू शौचालयों और सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों की राज्य-वार/वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कोई योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) : खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ), ओडीएफ+ और ओडीएफ ++ प्रमाणित किए गए शहरों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I पर है।

(ख) : स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिनांक 31.06.2021 तक शहरी क्षेत्रों में निर्मित एवं निर्माणाधीन कुल शौचालयों का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-II पर है। तथापि, वर्ष-वार डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ग) : सरकार ने देश भर में व्यापक तौर पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर में 20% से 30% की कमी करना है ।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के द्वारा देश में पचास माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग और प्लास्टिक शीट का निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में मृदा प्रदूषण से संबंधित मुद्दों का निदान किया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, वर्ष 2021-2026 तक पांच वर्षों की अवधि में, 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक, वायु और मृदा प्रदूषण से संबंधित मुद्दों का निराकरण करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

अनुलग्नक-I

खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ), ओडीएफ+ और ओडीएफ ++ प्रमाणित शहरों के राज्य-वार ब्यौरे के संबंध में दिनांक 22.7.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 506 के भाग (क) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक।

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओडीएफ प्रमाणित स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) की संख्या	ओडीएफ+ प्रमाणित यूएलबी संख्या	ओडीएफ++ प्रमाणित यूएलबी संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	1	1	1
2	आंध्र प्रदेश	110	102	7
3	अरुणाचल प्रदेश	21	0	0
4	असम	96	21	0
5	बिहार	126	18	0
6	चंडीगढ़	1	1	1
7	छत्तीसगढ	168	168	168
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	2	0
9	दिल्ली	5	4	3
10	गोवा	14	14	0
11	गुजरात	171	161	103
12	हरियाणा	81	62	14
13	हिमाचल प्रदेश	61	23	2
14	जम्मू और कश्मीर	80	17	0
15	झारखंड	42	41	3
16	कर्नाटक	271	126	2
17	केरल	93	25	0
18	लद्दाख	2	0	0
19	मध्य प्रदेश	383	380	295
20	महाराष्ट्र	391	386	210
21	मणिपुर	27	1	0
22	मेघालय	10	0	0
23	मिजोरम	23	0	0
24	नगालैंड	18	0	0
25	उड़ीसा	113	51	16
26	पुदुचेरी	5	3	0
27	पंजाब	170	166	65
28	राजस्थान	192	94	6
29	सिक्किम	7	3	0
30	तमिलनाडु	666	406	0
31	तेलंगाना	74	79	7
32	त्रिपुरा	20	5	0
33	उत्तर प्रदेश	666	626	30
34	उत्तराखंड	99	45	3
35	पश्चिम बंगाल	85	2	0
	कुल	4,295	3,033	936

अनुलग्नक-II

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में निर्मित या निर्माणाधीन शौचालयों की संख्या के संबंध में दिनांक 22.7.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 506 के भाग (ख) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक।

एसबीएम-यू के तहत आईएचएचटी और सीटी/पीटी के निर्माण की राज्य-वार प्रगति

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 30 जून, 2021 की स्थिति			
		निर्माणाधीन आईएचएचटी (*)	निर्मित आईएचएचटी	सीटी/पीटी (#) निर्माणाधीन	सीटी/पीटी निर्मित
1	आंध्र प्रदेश	5,990	2,43,764	906	17,797
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	336	0	603
3	अरुणाचल प्रदेश	937	9,743	0	46
4	असम	9,208	73,747	0	3,350
5	बिहार	99,309	3,93,613	5,752	21,728
6	चंडीगढ़	0	6,117	0	2,512
7	छत्तीसगढ	0	325,050	0	18,832
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	2,378	0	615
9	दिल्ली	238	725	5,121	28,256
10	गोवा	3,798	3,741	0	847
11	गुजरात	1,574	5,60,046	347	24,149
12	हरियाणा	473	66,427	87	11,374
13	हिमाचल प्रदेश	0	6,687	0	1,567
14	जम्मू और कश्मीर	900	51,235	1,227	3,329
15	झारखंड	4	2,18,580	0	8,732
16	कर्नाटक	0	3,93,278	1,027	36,556
17	केरल	6,152	37,207	632	2,803
18	लद्दाख	0	400	0	194
19	मध्य प्रदेश	75,608	5,77,619	4,451	19,782
20	महाराष्ट्र	1,438	7,11,353	674	1,66,465
21	मणिपुर	513	37,593	22	512
22	मेघालय	0	1,604	0	152
23	मिजोरम	1,223	9,724	200	581
24	नागालैंड	2,554	19,847	0	235
25	उड़ीसा	33	1,40,401	152	12,040
26	पुडुचेरी	5,015	5,162	0	836
27	पंजाब	2,800	1,03,683	0	11,388
28	राजस्थान	476	3,68,008	0	31,300
29	सिक्किम	325	1,066	0	163
30	तमिलनाडु	14,000	5,08,562	1,580	92,744
31	तेलंगाना	6,942	1,56,396	28	15,465
32	त्रिपुरा	294	20,269	50	1,073
33	उत्तर प्रदेश	45,481	8,96,499	214	69,292
34	उत्तराखंड	4,095	23,545	116	4,642
35	पश्चिम बंगाल	1,38,463	2,82,542	2,237	5,746
	कुल	4,27,843	62,56,947	24,823	6,15,706
*	आईएचएचटी - व्यक्तिगत घरेलू शौचालय				
#	सीटी/पीटी – सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय				